रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 374] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 13, 2016/आश्विन 21, 1938
No. 374] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 13, 2016/ASVINA 21, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2016

सं. मानक/एसपी (पानी एवं पेय)/अधि.(1)/एफएसएसएआई/2016.—कतिपय विनियमों में आगे संशोधन हेतु खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011, जिसमें भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमोदन के साथ निम्न प्रारूप बनाने का प्रस्ताव करता है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ड़) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कथित अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) के माध्यम से अपेक्षितानुसार, एतद्द्वारा प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को जानकारी और एतद्द्वारा सूचना देते हैं कि कथित प्रारूप विनियम पर इस अधिसूचना जो सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तिथि से तीन दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आपत्ति अथवा सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, खाद्य एवं औषध प्रशासन, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा ईमेल द्वारा regulation@fssai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं;

आपत्ति अथवा सुझाव, जो किसी भी व्यक्ति से उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त किए जाएंगे, उपरोक्त निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले, खाद्य प्राधिकारण द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) .... संशोधन विनियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में,-

(क) पेय पदार्थ (डेरी**,** फल और सब्जियों पर आधारित से भिन्न) से संबन्धित विनियम 2.10 में**,** उप-विनियम 2.10.6 में, कैफीनयुक्त पेय से संबंधित खण्ड 2 के बाद, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

'3. **"गैर-कार्बोनेटिड जल आधारित पेय (अल्कोहॉल रहित)"** से वह पेय अभिप्रेत है जिनमें बिना कार्बन डाइआक्साइड डाला हुआ पानी जो की खाद्य सुरक्षा और मानकों (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) 2011, विनियम के तहत पैकेड पेयजल के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप है और निम्नलिखित में से एक या मिश्रण में हो सकता है:

(i) चीनी, द्रव्य ग्लूकोज, डेक्सट्रोज मानोहाइड्रेट, इनव्हर्ट चीनी, फ्रुकटोज़ शहद, फल और सब्जियों के अर्क, जड़ी बूटियाँ, मसाले और उनके व्युत्पादन और अनुमतिप्राप्त सुवास।

(ii) डाली गई जड़ी बूटियाँ अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट संरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे और इन्हें लेबल पर भी घोषित किया जायेगा।

(iii) केवल उन खाद्य योजकों का प्रयोग किया जाएगा जो इन विनियमों के उपबंधो के अनुसार हों।

(iv) इस मानक के अंतर्गत आने वाले उत्पाद इन विनियमों के परिशिष्ट 'ख' में प्रस्तुत सूक्ष्म जैवकीय अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।

(v) उत्पाद खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के अंतर्गत निर्धारित पैकेजिंग और लेबलिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगें।

टिप्पण:

1. जड़ी बूटियों के लिए विषाक्तता विश्लेषण का डेटा इसके अनुमोदन हेतु उपलब्ध करवाया जाएगा जब इसे पेय पदार्थों में डाला जाता है।
2. इसमें स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 के 61) की अनुसूची और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची ई और ई1 में सूचीबद्व पदार्थों की सूची में उल्लेखित अनुसार कोई भी स्वापक औषधि सम्मिलित नहीं होगी।';

(ख) "सूक्ष्म जैवकीय अपेक्षाओं" से संबधित परिशिष्ट ख में, सारणी 7 के पश्चात्, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"सारणी 8

गैर-कार्बोनेटेड पानी आधारित पेय (गैर-एल्कोहॉलिक) के लिए जीवाणु तत्व आवश्यकताएं।

क्र. सं.	मानक	सीमाएं
1.	कुल प्लेट गणना प्रति मि.लि.	50 सीएफयू प्रति मि.लि. से अधिक नहीं
2.	खमीर और मोल्ड गणना प्रति मि.लि.	2 सीएफयू प्रति मि.लि. से अधिक नहीं
3.	कालीफार्म गणना	100 मि.लि. में अनुपस्थित।"।

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा/263 (187)]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चात्वर्ती निम्न अधिसूचना संख्याकों द्वारा संशोधित किए गए:—

(i) एफ. सं. 4-15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;

(ii) एफ. सं. पी.15014/1/2011-पीएफए/एफएसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013;

(iii) एफ. सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013;

(iv) एफ. सं. पी.15025/262/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014;

(v) एफ. सं. 1-83एफ/वैज्ञानिक पैन-अधि./एफएसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;

(vi) एफ. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015;

(vii) एफ. सं. पी.15025/263/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवंबर, 2015;

(viii) एफ. सं. पी.15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवंबर, 2015;

(ix) एफ. सं. 7/15015/30/2012, तारीख 13 नवंबर, 2015;

(x) एफ. सं. पी.15025/208/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवंबर, 2015;

(xi) एफ. सं. पी.15025/261/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवंबर, 2015;

(xii) एफ. सं. 1-10(1)/स्टैंडर्ड/एसपी (मत्स्य एवं मत्स्य उत्पाद)/एसएसएआई-2013, तारीख 11 जनवरी, 2016;

(xiii) एफ. सं. 3-16/विशिष्ट खाद्य/अधिसूचना (खाद्य योजक) एफएसएसएआई-2014, तारीख 3 मई, 2016;

(xiv) एफ. सं. 15-03/एन्फ़/ एफएसएसएआई/2014, तारीख 14 जून, 2016;

(xv) सं. 3-14एफ़/नोटिफिकेशन (न्यूट्रास्युटिकल्स)/ एफएसएसएआई-2013, तारीख 13 जुलाई 2016;

(xvi) फा. सं.1-12/मानक /एस. पी. (मधु, मधुकारक)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2015, तारीख 15 जुलाई, 2016;

(xvii) फा. सं. 11/09/रेग/हार्मोनाइजेशन/2014, तारीख 5 सितम्बर, 2016 और

(xviii) फा. सं. सीपीएलक्यू सीपी/ईएम/2015, तारीख 14 सितम्बर, 2016।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2016

No. Stds/SP(Water & Beverages)/Notif (1)/FSSAI-2016.—The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 read with section 16 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), is hereby published as required by sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or , or may be sent at regulation@fssai.gov.in;

Objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of period so specified, shall be considered by the Food Authority.

Draft Regulations

3. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) ………… Amendment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

4. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011,-

(a) in regulation 2.10 relating to "BEVERAGES, (Other than Dairy and Fruits & Vegetables based)", in sub-regulation 2.10.6 after clause 2 relating to Caffeinated beverages, the following shall be inserted namely: -

'3. "**Non-carbonated Water Based Beverages (Non-Alcoholic)"** means beverages containing water conforming to the standards prescribed for packaged drinking water under these regulations without added carbon dioxide and may contain any of the following, singly or in combination:

(i) sugar, liquid glucose, dextrose monohydrate, invert sugar, fructose, honey, fruits and vegetables extractives, herbs, spices and their derivatives and permitted flavouring;

(ii) added herbs shall comply with safety requirements as specified in the Act and the regulations made thereunder and shall also be declared on the label;

(iii) only the food additives in accordance with the provisions of these regulations shall be used;

(iv) the products covered in this standard shall comply with the microbiological requirements given in Appendix B of these regulations;

(v) the products shall comply with the packaging and labelling requirements as laid down under the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011.

Note:

3. Data of toxicological analysis to be provided for its approval for the Herbs when added in the beverages.

4. Shall not include any psychotropic substance as defined in the Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) and the rules made thereunder, and substances listed in Schedules E and E1 of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945.';

(b) in APPENDIX B relating to "Microbiological Requirements", after Table 7, the following shall be inserted, namely: -

"**TABLE 8**

Microbiological Requirements for Non-Carbonated Water Based Beverages (Non Alcoholic)

Sr. No.	Parameters	Limits
1.	Total plate count per ml	Not more than 50 cfu per ml
2.	Yeast and mould count per ml	Not more than 2 cfu per ml
3.	Coliform count	Absent in 100 ml.".

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT. III/4/Exty./263 (187)]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* notification number 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide the following notification numbers:-

(i) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 7th June, 2013;

(ii) F. No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated the 27th June, 2013;

(iii) F. No. 5/15015/30/2012, dated the 12th July, 2013;

(iv) F. No. P.15025/262/13-PA/FSSAI, dated the 5th December, 2014;

(v) F. No.1-83F/Sci.Pan-Noti/FSSAI-2012, dated the 17th February, 2015;

(vi) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 4th August, 2015;

(vii) F. No. P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;

(viii) F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;

(ix) F. No. 7/15015/30/2012, dated the 13th November, 2015;

(x) F. No. P.15025/208/2013-PA/FSSAI, dated the 13th November, 2015;

(xi) F. No P.15025/261/2013-PA/FSSAI, dated the 13th November, 2015 ;

(xii) F. No.1-10(1)/Standards/SP (Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated the 11th January, 2016;

(xiii) No. 3-16/ Specified Foods/Notification(Food Additive)/FSSAI-2014, dated the 3rd May, 2016;

(xiv) F. No. 15-03/Enf/FSSAI/2014, dated 14th June, 2016;

(xv) No. 3-14F/Notification (Nutraceuticals) /FSSAI-2013, dated 13th July, 2016;

(xvi) F. No. 1-12/Standards/SP (Sweets, Confectionery)/FSSAI-2015, dated 15th July, 2016;

(xvii) F. No./09/11 Reg/Harmoniztn 2014, dated 5th September, 2016; and

(xviii) Stds/CPLQ.CP/EM/FSSAI- 2015, dated 14th September, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.10.14 11:41:15 +05'30'